

सारीख हुकम

उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उक्त हुकम के अनुसार

हुकम या कार्यवाही मय लघुहरस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो
हुकम की तारीख
में जारी हुआ

19.09.2024
पत्रावली 20-9-24 दिनांक 20-9-24 को पेश हो।

20.09.2024

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी रै/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 20-9-24 को पेश हो।

पत्रावली आज पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस वकूलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पत्रावली दिनांक 18.10.2024 को पेश हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

18.10.2024

पत्रावली आज पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में वकील प्रार्थी ने मय पक्षकार के उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र बाबत विद्वा किये जाने वादपत्र का पेश कर अवगत कराया है कि उक्त वादपत्र में अंकित वादग्रस्त भूमि से सम्बन्धित विवाद को सुलझा लिये जाने से दावा को आगे नहीं चलाकर विद्वा कर खारिज किये जाने का निवेदन करने पर वादपत्र विद्वा किया जाकर खारिज हो चुका है। मूल वादपत्र को विद्वा करवा लिये जाने से इस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को इसी स्तर पर विद्वा कर खारिज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

